**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2804/2007**

**याचिकाकर्ता** दीपक शर्मा

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** - छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

आदेश हेतु दिनांक 15-05-2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**(सतीश के. अग्निहोत्री)**

**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2804/2007**

**याचिकाकर्ता** **दीपक शर्मा**, पिता श्री रामाशंकर शर्मा, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 21, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग।

2. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ आवास मंडल, बिलासपुर परिक्षेत्र, बिलासपुर (छ.ग.)।

3. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ आवास मंडल, प्रोग्राम परिक्षेत्र, रायगढ़ (छ.ग.)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका**

**एकल पीठ :** माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

..............................................................................................................

**उपस्थितः**

श्री सौरभ डांगी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री यशवंत सिंह, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से।

श्री संजय पटेल, अधिवक्ता, केविएटर की ओर से।

..............................................................................................................

**आदेश**

(दिनांक 15-05-2007 को पारित)

**1.** याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस याचिका के माध्यम से दिनांक 12.01.2007 (अनुलग्नक पी.-1) को राजस्व मंडल द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R.N. 11/R/A-76/180/2006 में पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी गई है,

जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे 'संहिता, 1959' कहा गया है) की धारा 146 के अंतर्गत धन की वसूली हेतु अतिरिक्त तहसीलदार/तहसीलदार, छत्तीसगढ़ आवास मंडल, संभाग बिलासपुर एवं रायगढ़ द्वारा जारी नोटिस दिनांक 24.01.2006 एवं 28.01.2006 को विधिसम्मत घोषित किया गया है।

**2.** याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी प्राधिकारियों के मध्य दावे से संबंधित तथ्य इस याचिका का प्रत्यक्ष विषय नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर में क्रीड़ा परिसर हेतु 100 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण कार्य, जिसमें जलापूर्ति, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युत व्यवस्था शामिल थी, तथा मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया में 100 बिस्तरों वाले खेल परिसर के निर्माण का ठेका प्रदान किया गया था। भुगतान/राशि की वसूली के संबंध में पक्षकारों के मध्य कुछ विवाद उत्पन्न हुआ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**3.** याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.07.1997 (अनुलग्नक पी.-3) के पत्र के माध्यम से उप आवास आयुक्त, म.प्र. आवास मंडल, बिलासपुर को अवगत कराया कि कार्यपालन अभियंता, बिलासपुर द्वारा संविदा को मनमाने एवं अवैध रूप से समाप्त करना तथा समस्त भुगतान रोकना अनुचित है। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी सूचित किया कि यदि 60 दिनों के भीतर इस विषय में निर्णय नहीं लिया गया, तो वह अपने दावों के निराकरण हेतु म.प्र. मध्यस्थता अधिकरण, भोपाल के समक्ष दावा प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या दावों का निराकरण हुआ या याचिकाकर्ता ने अपने दावों के निराकरण हेतु मध्यस्थता अधिकरण का सहारा लिया।

**4.** याचिकाकर्ता को अतिरिक्त तहसीलदार, छत्तीसगढ़ आवास मंडल, बिलासपुर द्वारा दिनांक 24.01.2006 (अनुलग्नक पी.-4) के माध्यम से ₹5,51,636/- की राशि 15 दिनों की अवधि में जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 28.01.2006 को एक अन्य नोटिस जारी किया गया, जिसके द्वारा ₹10,65,139/- की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया, अन्यथा उक्त राशि छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 146 के प्रावधानों के अंतर्गत वसूल किए जाने योग्य होगी।

**5.** याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिसों को इस आधार पर राजस्व मंडल के समक्ष चुनौती दी कि बिना उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही नोटिस जारी किए गए, अतः वे विधि-विरुद्ध एवं अवैध हैं।

**6.** अभिलेखों एवं प्रस्तुतियों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता को भुगतान करने हेतु 15 दिनों का समय प्रदान किया गया था, किन्तु उसने उक्त नोटिसों के अनुपालन में कोई कार्यवाही नहीं की तथा राजस्व मंडल के समक्ष भी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जैसा कि राजस्व मंडल के आदेश के कंडिका 5 में उल्लिखित है, जो इस प्रकार है :-

> "5. दिनांक 29.09.2006 को अनावेदकगण क्रमांक 1 एवं 2 कि ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई । आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का समय चाहा गया, लगभग 110 दिन पश्चात् भी आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जा सका । पश्चात् 27.10.06 को प्रकरण गुण-दोष के आधार पर निराकरण हेतु आदेशार्थ रखा गया ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**7.** याचिकाकर्ता दिनांक 14 जुलाई, 1997 के पश्चात अपने अधिकारों के प्रति निष्क्रिय रहा तथा नोटिस जारी होने तक उसने कोई कदम नहीं उठाया। याचिकाकर्ता ने अपने देयकों के निराकरण हेतु मध्यस्थता अधिकरण का भी सहारा नहीं लिया, जबकि अनुलग्नक पी.-6 के रूप में संलग्न कार्यालय आदेश दिनांक 06.08.1986 द्वारा बाद में जोड़ी गई धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि पक्षकारों के मध्य विनिर्देश, रेखाचित्र, निर्देशों अथवा किसी शर्त या संविदा की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उक्त विवाद को भारतीय मध्यस्थता अधिनियम (अधिनियम सं. 10 से 40) के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाएगा।

**8.** संहिता, 1959 की धारा 146 का उद्धरण करना समीचीन होगा :

"**146. मांग की सूचना.-** तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बकाया की वसूली के लिये धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी होने के पूर्व, किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवा सकेगा ।"

उक्त धारा 146 से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बकाया राशि की वसूली हेतु धारा 147 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व, किसी भी बकायेदार को मांग की सूचना जारी कर सकता है।

**9.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सूर्य देव राय बनाम रामचंद्र राय एवं अन्य*** **(2003) 6 SCC 675** में निम्नलिखित अवधारित किया है :

"अभिलेख पर स्पष्ट रुप से परिलक्षित त्रुटि को उत्प्रेषण के माध्यम से सुधारा जा सकता है। यह निर्धारित करने हेतु कि कौन-सी त्रुटि प्रत्यक्ष या अभिलेख पर स्पष्ट रुप से त्रुटि है, व्यापक सिद्धांत यह है कि ऐसी त्रुटि स्वयं स्पष्ट होनी चाहिए। वह त्रुटि, जिसे स्थापित करने के लिए दीर्घ एवं जटिल तर्कों की आवश्यकता हो, अथवा ऐसी त्रुटि जो विस्तृत विचार-विमर्श की प्रक्रिया के पश्चात ही सिद्ध हो सके, उसे प्रत्यक्ष त्रुटि नहीं कहा जा सकता। सर्टियोरारी की रिट में उच्च न्यायालय, अधिकरण/प्राधिकारी/न्यायालय की कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, किन्तु वह उसके स्थान पर अपने निष्कर्ष अथवा निर्देश प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।"

"**38.** ......... (3) संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट व्यापक अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जाती है, अर्थात् जब यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय—
(i) बिना अधिकारिता के कार्य कर रहा है, अर्थात् जहाँ कोई अधिकारिता नहीं है, वहाँ अधिकार ग्रहण कर लिया है; या
(ii) अपने अधिकारिता से परे जाकर, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण किया है; या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iii) विधि या प्रक्रिया के नियमों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, जहाँ कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है, इस प्रकार कार्य किया है जिससे न्याय का विफल होना हुआ है।

**(4)** संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकारिता की सीमाओं के भीतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसा अधिकारिता ग्रहण कर लेता है जो उसके पास नहीं है, या वह ऐसा अधिकारिता प्रयोग करने में विफल रहता है जो उसके पास है, अथवा उपलब्ध अधिकारिता का प्रयोग विधि द्वारा अनुमत तरीके से नहीं करता है और उससे न्याय का विफल होना या गंभीर अन्याय उत्पन्न होता है, तब उच्च न्यायालय अपने पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग कर हस्तक्षेप कर सकता है........."

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**10.** आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि, विकृतता, अनियमितता अथवा अवैधता परिलक्षित नहीं होती। उत्तरवादी प्राधिकारियों का दावा, संविदा के अनुसार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 99 के प्रावधानों के अंतर्गत वसूल योग्य है।

**11.** यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत, यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार रखता है, जब अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष त्रुटि परिलक्षित हो, जो विधि के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना अथवा घोर उपेक्षा पर आधारित हो, या जिससे न्याय का विफल होना अथवा गंभीर अन्याय उत्पन्न हुआ हो। इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग उस स्थिति में भी कर सकता है, जब निर्णय प्रक्रिया में विकृतता, अनियमितता अथवा अवैधता हो, न कि स्वयं निर्णय के गुण-दोष में।

**12.** उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

**13.** फलस्वरुप, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

**सही/-**

**(सतीश के. अग्निहोत्री)**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**